संख्या-88/2023/001-2212-24-1-2023-14 BUDGET-2022

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत हानियों में कमी हेतु कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-699/अधि0नि0(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2023-24/436, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत हानियों में कमी हेतु कराये जाने वाले कार्यों हेतु अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-8907-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 2280,00,00,000/- (रूपये दो हजार दो सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2080,00,00,000/- (रूपये दो हजार अस्सी करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 1189,35,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ नवासी करोड़ पैंतीस लाख मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशिके व्यय के सापेक्ष आगामी किश्त /भौतिक से पूर्व वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनाँक 01 अगस्त, 2023 की व्यवस्था के अन्तर्गत योजना में केन्द्रांश वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,89,35,00,000 ( रुपये ग्यारह अरब नवासी करोड़ पैंतीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801051908907 हानियों कमी हेतु कराये जाने वाले कार्य ेहेतु अंशपूंजी (राज्यांश) **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-91-X-2023-24-दिनांक:22-9-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या-88/2023/001-2212(1)-24-1-2023-14 BUDGET-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।